न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 08 / 2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीकृष्ण सारवान पुत्र लिखमाराम जाति हरिजन निवासी जोधपुर ठिकाना परवाना भवन, मकान नं. 38ए, हरीजन बस्ती, माधोबाग चौपासनी रोड़, जोधपुर।		1– मनीष सारवान पुत्र हरिशचन्द्र जाति हरिजन हरिजन बस्ती, माधोबाग, म.नं. 38ए, जोधपुर। 2– श्रीमती रेखा पत्नी हरिशचन्द्र जाति हरिजन 3–श्रीमती स्वाती पत्नी मनोज 4–श्रीमती त्रिशला पत्नी श्रवण 5–श्रीमती शिवानी पत्नी ललित 6– श्रीमती दीपशिखा पत्नी 7– अन्तिमा पुत्री हरिशचन्द्र जातियान हरिजन,निवासी हरिजन बस्ती माधोबाग, मकान नं. 38ए, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा भरण पोषण प्रार्थना–पत्र संख्या 07 / 2017 श्रीकृष्ण सारवान बनाम मनीष वगैरा में पारि आदेश की प्रस्तुत करने हेतु।

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 12.12.2017

1– अपीलार्थीपक्ष उपस्थित
2– प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित

आदेश

लगातार...

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी–श्रीकृष्ण सारवान ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत पेश करते हुए भरण पोषण भत्ता देने व मकान नं. 38, माधोबाग हरिजन बस्ती, चौपासनी रोड़, जोधपुर में बने ठावों से अप्रार्थीगण/ प्रत्यर्थीगण के कब्जे में है, को खाली कराने के लिए उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया गया कि प्रार्थी के कब्जे वाले ग्राउण्ड फ्लोर में अप्रार्थी किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने एवं ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित कमरे की आवश्यकता होने पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी की अनुमति के साथ उपयोग व उपभोग कर सकेंगे। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (08/2017) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी/प्रत्यर्थीक्ष के नोटिस तारीख पेशी 21.11.2017 बाद तामील लौट। दिनांक 29.11.17 को प्रत्यर्थीपक्ष रेखा की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत् राजीनामा होने का प्रयास चलने की बात का पेश हुआ जिस पर न्यायहित में पेशी मुल्वती कर आज दिनांक 12.12.17 को मुकर्र की गई। आज प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित। अपीलार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि आपसी बातचीत से प्रत्यर्थीगण ने विवादित मकान खाली कर दिया गया तथा उन्हें दूसरा मकान दे दिया गया, परन्तु मेरे साथ मारपीट करने की धमकिया देते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष की स्वीकारोक्ति है कि विवादग्रस्त मकान प्रत्यर्थीगण ने खाली कर दिया है अतः अपील इस स्टेज पर प्रभावहीन हो जाती है, परन्तु अपीलार्थीपक्ष का यह कथन है कि उसे प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीगण मारपीट करने की धमकियां देते है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के तहत संरक्षण देना आवश्यक समझते है। अतः अति.पुलिस कमीश्नर जोधपुर महानगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के निवास स्थान के संबंधित थानाधिकारी को पाबन्द करें कि पुलिस थाना का कोई प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक को साथ नियमित अन्तरालों पर, महिने में कम से कम एक बार

लगातार...

अपीलार्थी श्रीकृष्ण सारवान से भेंट करें तथा उनके द्वारा सहायता/सुरक्षा के किसी अनुरोध की प्राप्ति पर यथा संभव शीघ्रता से अनुतोष प्रदान करें।